



पत्र सं 8बी/यूसी०पी०/०९/८४/२०२२/एफ.सी।।१०९६

दिनांक: २७/०३/२०२३

सेवा में,

- ✓ अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद - ऊधमसिंह नगर इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा० लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 (रुद्रपुर-किंच्छा मार्ग की बायीं पटरी) के कि०मी० 221.150 (निकट महिंद्रा प्लांट, लालपुर रुद्रपुर) से कि०मी० 227.200 (एच०पी०सी० एल० पैट्रोल पम्प, होटल नीलकंठ के सामने, किंच्छा बाईपास, किंच्छा) कुल लम्बाई 6.05 कि०मी० तक सड़क के किनारे पर ओपन ट्रैच / एच०डी०डी० तकनीक के माध्यम से भूमिगत 8 व्यास की कार्बन स्टील गैस पाईप लाईन बिछाए जाने हेतु 0.3025 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा० लि० को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (online no. FP/UK/Pipeline/148743/2021)

सन्दर्भ:- कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1450 / FP/UK/Pipeline/148743/2021 दिनांक 15-12-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार- जनपद- ऊधमसिंह नगर इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा० लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 (रुद्रपुर-किंच्छा मार्ग की बायीं पटरी) के कि०मी० 221.150 (निकट महिंद्रा प्लांट, लालपुर रुद्रपुर) से कि०मी० 227.200 (एच०पी०सी० एल० पैट्रोल पम्प, होटल नीलकंठ के सामने, किंच्छा बाईपास, किंच्छा) कुल लम्बाई 6.05 कि०मी० तक सड़क के किनारे पर ओपन ट्रैच / एच०डी०डी० तकनीक के माध्यम से भूमिगत 8 व्यास की कार्बन स्टील गैस पाईप लाईन बिछाए जाने हेतु 0.3025 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा० लि० को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
 - क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवनत वन भूमि, खैर भाखड़ा ब्लॉक, एन-1 गदगदिया राजि (तराई कैन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर) पर 600 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, रसानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।

- (ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की केंद्रीय फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एसोएमोरी कार्य, प्रस्तावित कैचेंट एवं ट्रीटेंट क्षेत्र और डब्ल्यूएल०एम०पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन बॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
 5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**
 (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1 / 1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2 / 2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.3025 हेठो वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
 (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
 6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष का काटन/ पातन नहीं किया जाएगा।
 7. In case of malfunctioning of pipelines by way of leakage or other similar reasons, which is likely to cause damage to the flora and fauna of the surrounding forest, the same will be compensated by the user agency and the forest land will be restored to its original state at the cost of user agency. In this regard the relevant rules, regulations, standards and guidelines made by OISD (Oil Industry Safety Directorate) and PNGRB (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board) under Ministry of Petroleum & Natural Gas; and PESO (Petroleum and Explosive Safety Organization) under DPIIT shall be strictly followed and monitored at the appropriate level. The undertaking in this regard shall be submitted.
 8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
 9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
 10. नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।
 11. वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
 12. नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
 13. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
 14. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
 15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

16. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
18. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
19. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

Gangswani
 (गणेंद्र प्रकाश नरवण)
 सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/
 (गणेंद्र प्रकाश नरवण)
 सहायक महानिरीक्षक (वन)

